प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26-9-87 में माननीय सदस्यों की उपस्थिति ।

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम व पद	हस्ताक्षर
1-	सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह पांगती, आयुक्त	
2-	अशोक [illegible] जिलाधिकारी देहरादून	
3-	जे० पी० भार्गव, मुख्य नगर एवं ग्राम नि०	
4-	शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, लखनऊ, आवास विकास	
5-	डब्लू [illegible], अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि प्रमुख अभि० लो० नि० वि०	
6-	विनोद शर्मा, परगनाधिकारी, मसूरी	
7-	[illegible]	
8-	एन० बी० सिंह, जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून	
9-	के० के० शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	
10-	बी. के. [illegible] अधीक्षण अभियन्ता [illegible] देहरादून	
11-	[illegible]	
12-	के. एल. साहू, सहायक निदेशक [illegible]	
13-	[illegible] अधिशासी अभियन्ता [illegible]	
14-	हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग लखनऊ	
15-		
16-		
17-		

आयुक्त/अध्यक्ष,

दिनांक 26-9-87 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण की बैठक की कार्यवाही हस्ताक्षर व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

दिनांक 29-9-87

उपाध्यक्ष,

5.10.87

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 26-9-87 को प्रातः 10-00 बजे से प्राधिकरण कार्यालय में हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :-

1- श्री सुरेन्द्र सिंह पॉगती, आयुक्त गढ़वाल मंडल - अध्यक्ष
2- श्री प्रताप सिंह---------- उपाध्यक्ष
3- श्री अशोक कुराना, जिलाधिकारी, देहरादून । ----- सदस्य
4- श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, नगर विकास, लखनऊ--------- सदस्य
5- श्री डब्ल्यू रहमान, प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0--- प्रतिनिधि सदस्य
6- श्री जे0 पी0 भार्गव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ----- प्रतिनिधि सदस्य
7- श्री हरेकृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ--------- ------ प्रतिनिध सदस्य
8- श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक, देहरादून । ------ सदस्य
9- श्री एन0बी0 सिंह, सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ------ सदस्य
10-श्री के0 एल0 शाह, सहायक निर्देशक, पर्यटक, मसूरी----------प्रतिनिधि सदस्य
11-श्री के0 के0 शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून-----प्रतिनिधि सदस्य
12-श्री पी0 के0 पान्डे, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम, देहरादून-प्रतिनिधि सदस्य

विशेष आमंत्रित :-

1- श्री विनोद शर्मा, परगनाधिकारी, मसूरी ।
2- श्री बृज0 बी0 रतन, सहयुक्त नियोजक, देहरादून ।
3- श्री द्वारिकानाथ धवन, भू0पू0 नगर विधायक, देहरादून ।
4- श्री एस0 पी0 उनियाल, सचिव प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, देहरादून ।

अन्य उपस्थिति :-

1- श्री आर0 पी0 सिंह, सयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।
2- श्री एस0 सी0 धिल्डियाल, नगर नियोजक, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।
3- श्री रामपाल सिंह वर्मा, अधिशासी अधिकारी, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।

सर्वप्रथम पिछली बैठकों की अनुपालन आख्या से प्राधिकरण को अवगत कराया गया । प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये:-

1- गांव सभाओं की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने व उसके सुनियोजित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये गांव सभाओं की भूमि का सर्वेक्षण अतिरिक्त जिलाधिकारी से शीघ्र पूरा कराया जाय ।

॥कार्यवाही जिलाधिकारी॥

॥अ॥ इसी संदर्भ में यह भी निर्देश दिये गये कि गांव सभाओं की भूमि पर अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने के लिये व कार्यवाही करने के लिये गांव सभाओं की भूमि अवर अभियंताओं के बीच विभाजित कर दिया जाय और उनसे 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट मांग कर कार्यवाही की जाय । अवर अभियंताओं से अनधिकृत निर्माण की सूची प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति जिलाधिकारी को भी राजस्व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियंता
विकास प्राधिकरण॥

॥ब॥ इसी संदर्भ में यह भी निर्णय हुआ कि गांव सभाओं की पुरानी बन्दोबस्ती आबादी के विस्तार के लिये उसके चारों ओर एक लाल डोरा क्षेत्र बनाया गया है जिसके अन्तर्गत निर्माण स्वीकृत किया जा सकता है जबकि प्राधिकरण की उप-विधियों में बन्दोबस्ती आबादी से 100 मीटर की दूरी के अन्तर्गत निर्माण की स्वीकृति अनुमन्य है । यह लाल डोरा हरित क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र सभी में लागू होगा । अतः तदनुसार कार्यवाही की जाय ।

॥कार्यवाही सचिव/नगर नियोजक॥
विकास प्राधिकरण,

क्रमशः.....2

265

2- लण्डौर में बस अड्डे के लिये उपयुक्त स्थान की तलाश करने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि सहयुक्त नगर नियोजक, परगना अधिकारी मसूरी, नगर नियोजक व अधिशासी अभियंता विकास प्राधिकरण पुन: निरीक्षण कर लें ।

(कार्यवाही नगर नियोजक)
विकास प्राधिकरण

3- वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों के माडलों में से उपयुक्त माडल चयन करने के सम्बन्ध में मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक ने सहमति प्रकट की कि उनके कार्यालय से वांछित मानचित्र के ट्रेस प्रिंट करवाने के बाद भेज दिये जायेगे और इस कार्य पर हुये व्यय का बिल भुगतान हेतु विकास प्राधिकरण को भेजा जायेगा ।

(कार्यवाही मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक)/
सचिव, विकास प्राधिकरण

4- देहरादून की महायोजना को रेवेन्यू मानचित्र में दिखाये जाने की प्रगति ~~में तेजी करने~~ लाने के लिये जिलाधिकारी ने सहमति प्रकट की कि वे प्राधिकरण के क्षेत्र में पडने वाले सभी गावों के सजरा की फोटो कापी जिला कार्यालय में लगे ~~[illegible]~~ फोटो कॉपियर से फोटो कापी करवाकर सहयुक्त नगर नियोजक को भेज देगे जो इसके बिल का भुगतान कर देंगे ।

(कार्यवाही जिलाधिकारी/सहयुक्त नगर नियोजक)

5- सम्पत्ति संख्या 69 एंव 71 राजपुर रोड में आवासीय योजना ~~तैयार करने के लिये~~ आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं पायी गई ~~[illegible]~~ क्यों कि जिलाधिकारी ने इसका प्रतिकर 1.5 करोड रूपये बताया । यदि यहां पर शापिंग काम्पलैक्स का निर्माण किया जाता है तो योजना लाभप्रद होगी परन्तु चूंकि भूमि की अध्याप्ति आवासीय प्रयोजन के लिए की गयी है अत: यह तभी संभव होगा जबकि भूमि अध्याप्ति का वर्तमान नोटिफिकेशन निरस्त कर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भूमि अध्याप्ति करने की कार्यवाही की जाय । इस कार्यवाही में लगने वाले समय को

देखते हुये यह उचित समझा गया कि पहले इस सम्पत्ति के मालिकों से इस सम्पत्ति को प्राईवेट नेगोसियेशन से खरीदने की बात की जाय क्यों कि प्राईवेट नेगोसियेसन से भूमि सस्ती मिल जायेगी । यह भी बताया गया कि इसी के पीछे प्लाट संख्या 73 जो सीलिंग में अतिरिक्त घोषित किया गया है। प्रस्तावित आवासीय योजना में इस प्लाट को भी शामिल किया जायेगा और इस प्लाट तक जाने के लिये जितने भू-भाग की आवश्यकता होगी उसे भी प्राईवेट नेगोसियेसन से प्राप्त करने का प्रयास किया जाय । इसके लिये एक कमेटी गठित की गई जिसमें सचिव, विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक विकास प्राधिकरण, सहयुक्त नगर नियोजक, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) होंगे इस समिति के संयोजक, सचिव, विकास प्राधिकरण होंगे ।

(कार्यवाही सचिव, विकास प्राधिकरण)

6- अजबपुर कलां की शासन को प्रेषित 31.80 लाख ऋण की आवासीय योजना के बारे में मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक ने बताया कि उनके द्वारा यह योजना संस्तुति करके प्रर्वतीय विकास विभाग को भेजी गई है । यह भी निर्णय हुआ कि हडकों से भी ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया जाय क्यों कि शासन से ऋण की स्वीकृति मिलने में देरी होने की संभावना है । यदि शासन से ऋण पहले स्वीकृत हो जाता है तो हडकों से परित्याग किया जा सकता है ।

(कार्यवाही नगर नियोजक)
विकास प्राधिकरण

7- राजपुर रोड पर होटल अस्वीकृत करने का नोटिस आवेदक को दिया गया था जिसका उन्होंने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया है । इसे पूर्ण आख्या सहित अगली बैठक में रखा जाय ।

(कार्यवाही नगर नियोजक)

8- ग्राम अजबपुर कला में खेल-कूद के मैदान के रूप में विकसित करने की भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर आवासीय योजना तैयार करने के लिये सर्वेक्षण अभी तक न किये जाने पर प्राधिकरण ने खेद प्रकट किया और यह निर्देश दिये कि अगली बैठक तक पूर्ण योजना प्रस्तुत की जाय ।

(कार्यवाही नगर नियोजक)

क्रमशः.....4

विषय क्रमांक: 1-

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-7-87 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर किये गये ।

~~xxxxxxx~~
विषय क्रमांक-2

-प्रगति आख्या-

1-8-87 से 31-8-87 तक के भवन मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति का अवलोकन किया गया । सबसे पुराना मानचित्र अप्रैल 87 का बताया गया । इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि दो माह की अवधि में मानचित्रों पर अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिये । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को [illegible] भवन मानचित्रों [illegible] नगर नियोजक को भी दिया जाना चाहिए।

(कार्यवाही सचिव विकास प्रा०)

विषय क्रमांक: 3

देहरादून नगर में ड्रेनेज सिस्टम के सर्वेक्षण व पुनर्गठन के लिये ड्रेनेज डिवीजन की स्थापना व सीवेज लाईन डालने के कार्य का प्राधिकरण, नगरपालिका से समन्वय करना ।

बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत टिप्पणी पर विस्तार से विचार हुआ। देहरादून नगर में ड्रेनेज व सीवरेज की वर्तमान समस्या व वर्षा ऋतु में नगर में उत्पन्न होने वाली गन्दगी व सड़कों को होने वाली क्षति पर चिन्ता प्रकट की गई । जल निगम के अधीक्षण अभियंता श्री पी०के०पाण्डे ने भी वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम के सर्वेक्षण व पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया । सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(1) जल निगम वर्तमान ड्रेनेज का सर्वेक्षण कर एक रफ एसेसमेंट इस बात का निकालें कि वर्तमान व्यवस्था के पुनर्गठन/सुधार की क्या लागत होगी इसके साथ ही वह एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करें। इस कार्य के लिये प्राधिकरण से कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे ।

(2) सीवेज के बारे में जो वर्तमान मास्टर प्लान है उसका क्रियान्वयन फेज में किया जाय परन्तु नई सीवेज लाईन डालने की प्राथमिकता सूची नगरपालिका व विकास प्राधिकरण से समन्वय करते हुये बनाई जाय क्यों

कि नगर के विकास में ये दोनो संस्थायें भी सम्बन्धित हैं और यहां भी सीवेज की मांगें/शिकायतें आती रहती हैं । आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाकर विस्तार से विचार विमर्श हो सकता है ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता नगरपालिका देहरादून)

विषय क्रमांक: 4-

डालनवाला आवास योजना की परियोजना तैयार करने व हडको से ऋण स्वीकृत कराने के लिये श्री अरविन्द कुमार वास्तुविद को कन्सलटेन्सी शुल्क दिये जाने का अनुमोदन ।

यह बताया गया कि डालनवाला योजना के लिये हडकों से 1.29 करोड रू0 का ऋण स्वीकृत हो गया है और अब राज्य सरकार की गारण्टी हेतु शासन को प्रस्ताव गया हुआ है । सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि लक्ष्मणचौक व राजपुर निर्बल वर्ग आवासीय योजना की भाति डालनवाला आवासीय योजना की परियोजना तैयार करने व हडकों से ऋण स्वीकृत कराने के लिये श्री अरविन्द कुमार वास्तुविद (जो हडकों में रजिस्टर्ड भी हैं) को परियोजना व्यय 1,43,40000/- का 0.85% कन्सलटेंसी शुल्क भुगतान कर दिया जाय पर वास्तविक धनराशि का भुगतान उपाध्यक्ष के संतोष पर निर्भर होगा ।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक:5

प्राधिकरण की आवासीय व अन्य योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति के प्रतिकर भुगतान करने के लिये हडकों से ऋण लिया जाना ।

आवासीय निर्माण की परियोजनाओं के अलावा हडकों भूमि अध्याप्ति के प्रतिकर के भुगतान के लिये भी ऋण देता है । प्राधिकरण द्वारा 69,71 राजपुर रोड में 3.626 एकड भूमि व निरंजनपुर कांवाली में 68.02 एकड भूमि अध्याप्त की गई है जिसके प्रतिकर का भुगतान किया जाना है । इस प्रतिकर की धनराशि लगभग 4 करोड रूपये है । प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ऐसी नही है कि वह प्रतिकर का भुगतान कर सके । शासन से भी सीड कैपिटल के रूप में इतनी अधिक धनराशि मिलने की आशा नही है।

सर्व सम्मति से ~~निर्णय हुआ कि~~ प्राधिकरण की इन आवासीय योजनाओं व भविष्य में बनने वाली अन्य योजनाओं के लिये ~~हडकों या अन्य~~ भूमि अध्याप्ति के प्रतिकर हेतु हडको या अन्य स्रोतों से ऋण लेने के लिये उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

विषय क्रमांक: -6

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-7-87 के अनुसार ग्राम कांवली के गाटा संख्या 658 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति के सम्बन्ध में ।

समिति की संस्तुति पर व उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पर विमर्श करने के उपरान्त यह सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि समिति की रिपोर्ट दिनांक 20-6-87 के अनुसार उस रिपोर्ट में उल्लिखित गाटों 655,662,663,664,665,666, 696,697, 698,700,702,703 7 707 का भू-उपयोग शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों से बदलकर आवासीय कर दिया जाय परन्तु इसमें 8-5-85 से पूर्व प्लाट क्रय करने की शर्त आवश्यक नहीं होगी। इन प्लाटों को मानचित्र में मार्क करते हुये लाल स्याही से एक लाईन खींच दी जाय तद्नुसार भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाय। शेष भूमि को प्राधिकरण शासकीय/अर्ध शासकीय कार्यालय हेतु अध्याप्त कर लें। इस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा दुकानें बनाई जा सकती हैं।

(कार्यवाही नगर नियोजक (गान्धी))

विषय क्रमांक: 7

तिब्बती मार्केट पर दुकानों के निर्माण की अनुमति के प्रश्न पर विचार।

सर्व सम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि वर्तमान पवेलियन का स्टेडियम के रूप में विस्तार करने का परीक्षण अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कर दिया जाय। इस विस्तार में पवेलियन के दोनों ओर बस स्टेण्ड की कुछ भूमि ली जा सकती है क्यों कि बस स्टेण्ड को अन्य स्थान पर जाना ही है। गांधी पार्क की तरफ जितनी कम भूमि ली जाय उतना अच्छा होगा ताकि पार्क का साइज कम न हो। अधिशासी अभियंता अपनी रिपोर्ट अगली बैठक जो नवम्बर माह में होगी से पूर्व प्रस्तुत कर देंगे ताकि उस पर विचार कर इस स्थल के पीछे की ओर प्राधिकरण द्वारा शेष दुकानें बनाये जाने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता सा0नि0 वि0)

विषय क्रमांक-8

श्री मुरारीलाल सिंघल, भूतपूर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उ0प्र0 को प्राधिकरण को तकनीकी परामर्श देने हेतु मानदेय के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि अभी फिलहाल प्राधिकरण को श्री सिंघल की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

क्रमशः.....7

विषय क्रमांकः 9

तिब्बती मार्केट स्थित दुकान संख्या-10 का खादी एंव ग्रामोद्योग परिषद को किराये पर आवंटन ।

सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि खादी एंव ग्रामोद्योग परिषद से प्रीमियम न लिया जाय पर दुकान का मासिक किराया दुगुना कर दिया जाय । यह बताया गया कि वे एक और दुकान वहीं पर लेना चाहते हैं यह निर्णय हुआ कि उसे भी दुगुने मासिक किराये पर इनको दे दिया जाय।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांकः 10

श्री विनोद शर्मा, परगनाधिकारी को संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के पद का कार्य करने हेतु भत्ते का भुगतान ।

सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि श्री विनोद शर्मा को 250/- डकन इंयूटी एलाउन्स स्वीकृत करने की संस्तुति नियुक्ति विभाग को कर दी जाय ।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांकः 12

देहरादून नगर की महायोजना में विसंगतियों का निराकरण

प्राधिकरण के दिनांक 24-9-86 के प्रस्ताव के अनुसार शासन को सूचित की गई विसंगतियों के निराकरण के अलावा 32 और सुझाव/आपत्तियां बाद में प्राप्त हुये हैं । संयुक्त सचिव नगर विकास विभाग ने बताया कि इन आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों/आपत्तियों पर विचार हेतु शासन द्वारा एक कमेटी गठित की जा रही है । अध्यक्ष का मत था कि इस कमेटी की संस्तुति के बाद प्रस्तावित संशोधनों पर पुनः जन प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी क्यों कि अभी जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी वह सामान्य प्रकार की थी और उसमें किसी प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख नहीं है । संयुक्त सचिव नगर विकास ने कहा कि वे इस बिन्दु का विधिक परीक्षण करा लेंगे ताकि संशोधन की प्रक्रिया में कोई त्रुटि न रह जाय ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव नगर विकास)

शासन द्वारा की जाने वाली उपरोक्त कार्यवाही के साथ ही सर्व-सम्मति से यह उचित समझा गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व गठित कमेटी भी विसंगतियों के बारे में अब तक प्राप्त सुझावों व अपनी जानकारी के आधार पर

क्रमशः....8

स्थिति का परीक्षण कर लें । यह निर्णय हुआ कि समिति की बैठक 8 व 9 अक्टूबर 1987 को होगी जिसमें वरिष्ठ नगर नियोजक भी लखनऊ से भाग लेने आयेंगे ।

(कार्यवाही सचिव, विकास प्राधिकरण)

विषय क्रमांक:13

श्री राकेश ध्यानी को प्राधिकरण द्वारा ड्राफ्टसमैन का अनुज्ञा पत्र दिये जाने के प्रश्न पर विचार ।

सर्व सम्मति से उपविधि अध्याय-7 प्रस्तर 7.5 (सी) के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राकेश ध्यानी को अनुभव की अर्हता में एक वर्ष की छूट दी गई और यह निर्णय हुआ कि उन्हें ड्राफ्टसमैन (सिविल) का अनुज्ञा पत्र दे दिया जाय ।

(कार्यवाही नगर नियोजक)

विषय क्रमांक:14

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में क्रय की गई नई जीप के लिये जीप चालक के पद की स्वीकृति

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-5-87 में नगर नियोजन खण्ड के लिये एक जीप की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया था । तद्नुसार शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई ~~हो गयी~~ थी तथा जीप का क्रय भी किया जा चुका है । दिनांक 24-9-86 की बैठक में प्राधिकरण द्वारा चार जीप/कार चालक के पद स्वीकृत हैं । पांचवी गाडी क्रय किये जाने के फलस्वरूप एक जीप चालक के अतिरिक्त पद की आवश्यकता है । अत: सर्व सम्मति से प्राधिकरण द्वारा क्रय की गई पांचवी गाडी के लिये जीप चालक के एक और पद की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(कार्यवाही प्रशासन)

विषय क्रमांक:14

अजबपुरकलां के गाटा संख्या 1235 का दून घाटी कर्मचारी सहकारी आवास समिति, देहरादून के पक्ष में आवंटन ।

अपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 18-6-87 व 31-8-87 का अवलोकन किया गया । इस पर जिलाधिकारी की यह स्पष्ट राय थी कि यह उचित होगा कि इस समिति के लिये 10% से अधिक भूमि आरक्षित न रखी जाय जैसा कि प्राधिकरण पहले निर्णय ले चुका है । ~~और~~ समिति के सदस्य अजबपुरकलां आवासीय योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन भी करा सकते थे । सर्व सम्मति से यह निर्णय हुआ कि प्राधिकरण के पूर्व निर्णय में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव/अधिशासी अभियंता)

क्रमश:......10

विषय क्रमांक:15

मसूरी में लाइब्रेरी के पास कार पार्किंग का निर्माण

यद्यपि यह योजना प्राधिकरण के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है क्यों कि इस योजना की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं हो पायेगी पर मसूरी में कार पार्किंग की समस्या का शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से इसे आवश्यक मानते हुये यह निर्णय हुआ कि इसे कियान्वित किया जाय और पार्किंग स्पेस के नीचे के कवर्ड स्पेस को भी इस प्रकार प्रयोग में लाया जाय कि इससे ऊपर स्थित सड़क पर गाड़ियों का आवागमन न रुके। यह भी निर्णय हुआ कि अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग(श्री रहमान) नगर नियोजक, अधिशासी अभियंता विकास प्राधिकरण व परगना अधिकारी मसूरी इस दृष्टि से 8-10-87 को स्थल निरीक्षण कर अन्तिम निर्णय ले लेंगे।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता विकास प्रा०)

विषय क्रमांक:16-

श्री राजीव नागालिया के औद्योगिक ईकाई के मानचित्र पत्रावली संख्या(1107/87) की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शासन को पहले भेजे गये जोनल प्लान शासन द्वारा अनुमोदित प्लान व शासन द्वारा पुन: संशोधित अनुमोदित जोनल प्लानों का तुलनात्मक अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये जोनल प्लान के अनुसार उद्यमियों ने यहां प्लाट खरीदें थे और चूंकि उन्हें वित्तीय संस्थाओं से उद्योगों की स्थापना हेतु मानचित्र की स्वीकृति के अभाव में ऋण मिलने में विलम्ब हो रहा था अत: शासन की अनुमति से यह निर्णय लिया गया था कि इस जोनल प्लान के अनुसार जोनल प्लान की शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में मानचित्र स्वीकृत कर दिये जायं और तद्नुसार मानचित्र स्वीकृत किये जाते रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब कुछ व्यक्तियों के मानचित्र इस पुराने जोनल प्लान के अनुसार स्वीकृत हो गये हैं तब अब शेष व्यक्तियों के जिन्होंने पहले से प्लाट खरीदे हुये हैं और जिनके मानचित्र विचाराधीन हैं उनके मानचित्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं कि शासन द्वारा अनुमोदित संशोधित जोनल प्लान में सड़कों की चौड़ाई बढ़ा देने से इस सड़कों की स्थिति में परिवर्तन हो गया है व ये प्लाट इन सड़कों के बीच में आ रहे हैं। अन्य सदस्यों ने भी इस बात पर जोर दिया कि प्रश्नगत मामले में सड़क की चौड़ाई 12 मीटर ही रखी जाय जैसी कि अन्य सड़कों की भी रखी गई है ताकि उसकी दिशा वहीं रहे जो पहले के मानचित्र मे हैं और श्री नागालिया का प्लाट.

प्रभावित न हो । इसी प्रकार की एक अन्य विसंगति और बताई गई जहां वर्तमान 9 मीटर चौडी सडक को 18 मीटर करने के उद्देश्य से पूरा अलग खिसका दिया गया है जब कि वहां प्लाट खरीदे जा चुके हैं । सम्यक विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक ने विसंगतियों को मानचित्र पर मार्क किया और फिर निम्नलिखित निर्णय लिये गये ।

1- श्री राजीव नागलिया के प्रश्नगत मामले का निराकरण के उद्देश्य से सडक को 12 मीटर चौडा ही रखा जाय और यह जिस प्रकार पहले के मानचित्र के अनुसार सीधा जा रही है वैसा ही रहने दिया जाय ।

2- दूसरा मामला जो बैठक में बताया गया उसमें सडक के परिवर्तन से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिये पहले के मानचित्र में दिखाई गई 9 मीटर मार्ग को ही उसके दोनो और भूमि लेते हुये 18 मीटर चौडा दिखाया जाय ।

निर्णय हुआ कि उपरोक्तानुसार संशोधनों को मानचित्र में अंकित करते हुये शासन के सूचनार्थ भेज दिया जाय क्योंकि यह मैटरियल परिवर्तन नही है जिससे जोनल प्लान में निर्धारित भू-उपयोग बदलता हो अपितु [illegible] परिवर्तन है। [illegible] आंशिक परिवर्तन है।

विषय क्रमांक: 17 **नगरपालिका हेतु ट्रेंचिंग मैदान के लिये भूमि की व्यवस्था करने से सम्बन्धित समिति की संस्तुति**

समिति की संस्तुति बैठक में पढ़ी गई और सर्व सम्मति से यह निर्णय हुआ कि धर्मपुर से मथुरावाला को जाते समय सडक के बाईं ओर रिस्पना नदी की तरफ की भूमि को ट्रेन्चिग ग्राउन्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाय और चूंकि महायोजना में इस भूमि का उपयोग सीवेज फार्म दिखाया गया है अतः महायोजना में तद्नुसार भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति शासन को भेज दी जाय । नगरपालिका इस भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही भी करें । नगरपालिका अन्य लो लाईंग एरिया की भूमि का भी ट्रेन्चिंग में उपयोग करने की दृष्टि से सर्वेक्षण/परीक्षण कर ले ।

(कार्यवाही नगर नियोजक/अधिशासी अधिकारी नगरपालिका)

विषय क्रमांक: 18-

मसूरी में पिक्चर पैलेस के निकट कार पार्किंग की व्यवस्था

इस पार्किंग स्थल का अनुमोदन करते हुये सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि यहां पार्किंग स्थल विकसित करने की योजना 8.00 लाख रुपये के प्रस्तुत आगणन के अनुसार क्रियान्वित की जाय और जो अधिकारीगण 8-10-87 को लायब्रेरी में कार पार्किंग स्थल देखने जा रहे हैं उन्हें यह स्थल भी दिखा दिया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता विकास प्राधि(

29.9.87

(प्रताप सिंह(
उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

(एस0एस0पांगती(
अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

5.12.87

xxxx